न्यायालय— कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
परिपत्र

देश मे कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे संक्रमण को देखते हुये माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक बी/3010 जबलपुर दिनांक 14.08.2020 द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुकम में पक्षकारो अधिवक्तागण साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1. इस न्यायालय में दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक नियत (आवेदन पत्रों के जबाब, तर्क, अंतिम तर्क, निर्णय एवं आदेशों के लिए नियत प्रकरणों को छोडकर) ~~शेष~~ शेष प्रकरणो में निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती है—

सरल क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	17.08.20	21.09.20
2	18.08.20	22.09.20
3	19.08.20	23.09.20
4	20.08.20	24.09.20
5	21.08.20	25.09.20

2. प्रकरणों में जबाब एवं जबाब दावा ई—मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा सकेंगे। तर्क वीडियों कॉन्फ्रेसिंग अथवा वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से सुने जावेगें तथा लिखित तर्क ई—मेल के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकेगें।
3. जिन प्रकरणों में नियत दिनांक को पक्षकार सुनवाई चाहते हैं, उन प्रकरणों में वे ई—मेल के माध्यम से आवेदन पत्र पेश कर सकेंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने के अलावा अन्य कार्यवाही उनके निवेदन पर संपादित की जा सकेगी।
4. जो पक्षकार याचिका, आवेदनपत्र आदि प्रस्तुत करना चाहते है वे ई—मेल के माध्यम से ~~आवेदन पत्र~~ पेश कर सकेंगे।

न्यायालीन प्रकिया में हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस की बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिये उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

Sd
(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)

प्रतिलिपिः—

1— अध्यक्ष अधिवक्ता संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को Whats app आदि के माध्यम से सूचित करे।

2— सिस्टम ऑफिसर, होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईड पर अपलोड करें।

16.8.20
(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)